

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 फरवरी 2014—माघ 30, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2014

क्र. एफ 2-1-2014-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, प्रारूप 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप-1
[नियम 9(1) देखिए]

ग्राम पंचायत का नाम खण्ड जिला

वार्ड क्रमांक

अनुक्रमांक	गृह क्रमांक (यदि कोई हो)	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष/स्त्री/ अन्य	आयु	मतदाता का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

अनुपूरक मतदाता सूची

वार्ड क्रमांक

(1) परिवर्धनों की सूची

अनुक्रमांक	गृह क्रमांक (यदि कोई हो)	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष/स्त्री/ अन्य	आयु	मतदाता का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(2) संशोधनों की सूची

मुख्य सूची का अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	विद्यमान प्रविष्टि (जिसे संशोधित किया जाना है)	संशोधित प्रविष्टि
(1)	(2)	(3)	(4)

(3) विलोपनों की सूची

मुख्य सूची का अनुक्रमांक	मतदाता का नाम
(1)	(2)

NOTICE

F-2-1-2014-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1, of 1994) is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, for Form-1, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM—1

[See rule 9 (1)]

Name of Gram Panchayat Block District

Ward No.

Serial Number	House Number (if any)	Name of Voter	Name of Father/Husband	Male/Female/Other	Age	Photo of Voter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Registration Officer.

SUPPLEMENTARY VOTER'S LIST

Ward No.

(1) List of Additions

Serial Number	House Number (if any)	Name of Voter	Name of Father/Husband	Male/Female/Other	Age	Photo of Voter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(2) List of Corrections

Serial Number of Main list	Name of Voter	Existing entry (Which is to be corrected)	Corrected entry
(1)	(2)	(3)	(4)

(3) List of Deletions

Serial Number of Main list	Name of Voter
(1)	(2)

सूचना

क्र. एफ-2-1-2014-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, के परामर्श से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 50 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

50-क निर्वाचनों में मतदान मशीनें.—नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश जारी कर सकेगा कि विनिर्दिष्ट वार्डों/पंचायतों में मतदान मशीनों द्वारा मत देना और मत अभिलिखित करना उसी रीति में किया जाएगा जैसा कि इसके पश्चात् यथाविहित है.

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए “मतदान मशीन” से अभिप्रेत है मत देने और मत अभिलिखित करने में उपयोग में लाई जाने वाली कोई मशीन या यंत्र जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा चलायी जाती हो और नियमों में मतपेटी या मतपत्र के प्रति किसी भी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय जहां भी निर्वाचन में ऐसी मतदान मशीन का उपयोग किया जाए, ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश सम्मिलित है.”.

(2) अध्याय-9 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“अध्याय-9क

मतदान मशीनों द्वारा मतदान

72 “क”—मतदान मशीनों की डिजाइन—प्रत्येक मतदान मशीन में एक कंट्रोल यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसी डिजाइन की होगी जिसे कि निर्वाचन आयोग अनुमोदित करे.

72 ख—रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान मशीन का तैयार किया जाना—(1) मतदान मशीन की मतदान इकाई में ऐसा विवरण और ऐसी भाषा अन्तर्विष्ट होगी जैसी कि निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे,

(2) मतदान इकाई पर अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में रखे जाएंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आए हों,

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक जैसे हैं, तो उनके उपनाम, पिता का नाम, आजीविका या निवास आदि को जोड़ने के द्वारा या अन्य रीति से उनकी पहचान रखी जाएगी.

(4) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए रिटर्निंग आफिसर—

(क) मतदान यूनिट में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और प्रतीक चिन्ह वाला लेबल चिपकाएगा और उस यूनिट को अपनी सील तथा चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता जो वहां उपस्थित हों और जो अपनी सील लगाने के इच्छुक हों उनकी सील लगाकर सुरक्षित करेगा.

(ख) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करेगा और कंट्रोल यूनिट में अभ्यर्थी सेट सेक्शन को बंद करेगा और अपनी सील से तथा चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की सील से जो उपस्थित हों, और जो अपनी सील लगाना चाहते हों, सुरक्षित करेगा.

72 ग—मतदान केन्द्र पर इंतजाम—रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से यह प्रदर्शित किया जाएगा.—

(क) मतदान क्षेत्र जिसके मतदाता (इलेक्टर) मतदान केन्द्र पर मतदान करने के पात्र हैं और जब मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों, इस प्रकार पात्र मतदाताओं की विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस, और

(ख) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति.

(2) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या एक से अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किए जाएंगे जिनमें मतदाता अपना मत गोपनीय रूप से अभिलिखित कर सकेंगे.

(3) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर उतनी संख्या में मतदान मशीनें जितनी में कि किसी वार्ड के चुनाव लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों की अपेक्षित विशिष्टियां उनमें समायोजित हो सकें और दिख सकें तथा निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां और अन्य ऐसी चुनाव सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराएगा और मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मशीनें उपलब्ध कराए जाने के मामले में वे एक दूसरे से इस प्रकार संसक्त की जाएगी जिससे वे उस मतदान केन्द्र पर एक ही मतदान इकाई हो सके.

(4) उप नियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से उसी परिसर में अवस्थित दो या दो से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए एक सामूहिक वोटिंग मशीन उपलब्ध करा सकेगा.

72 घ—मतदान केन्द्रों में प्रवेश—पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर एक बार में प्रवेश करने वाले मतदाताओं की संख्या विनियमित करेगा और वहां से निम्न को अपवर्जित करते हुए सभी अन्य व्यक्तियों को हटा देगा.

- (क) मतदान अधिकारी;
- (ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्य पर उपस्थित लोक सेवक;
- (ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
- (घ) अभ्यर्थीगण, उनके निर्वाचन अभिकर्तागण और नियम, 42 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता;
- (ङ) किसी मतदाता के साथ गोद वाला बालक;
- (च) अंधे या ऐसे विकलांग मतदाता के साथ जो बिना सहायता के चल नहीं सकता हो, एक व्यक्ति; और
- (छ) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी नियम 72 च के उपनियम (2) या नियम 72छ के उप नियम (1) के अधीन नियोजित करे.

72 ड—मतदान के लिये मतदान मशीन का तैयार किया जाना—(1) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट पर एक लेबल रहेगा जिस पर—

- (क) अनुक्रमांक, यदि कोई हो, और वार्ड का नाम;
- (ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्रों के अनुक्रमांक और नाम;
- (ग) यूनिट का अनुक्रमांक; और
- (घ) मतदान की तारीख.

अंकित होंगे.

(2) मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले पीठासीन अधिकारी, उपस्थित मतदान अभिकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों के समक्ष यह प्रदर्शित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही किसी मतदाता का कोई मत अभिलिखित नहीं है और इस मशीन पर, नियम 72 ख के उपनियम (4) में निर्दिष्ट नामपत्र (लेबल) लगा है.

(3) मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट को सुरक्षित रखने के लिये कागज की एक शील का उपयोग किया जायेगा और पीठासीन अधिकारी कागज की शील पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के भी, यदि वे इच्छुक हों, हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा.

(4) इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी इस तरह हस्ताक्षरित कागज की शील को वोटिंग मशीन की कन्ट्रोल यूनिट में उसके लिए आशयित स्थान पर लगा देंगे और उसे सुरक्षित कर उसे शील करेंगे.

(5) कन्ट्रोल यूनिट को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की गई शील ऐसी रीति में लगाई जाएगी कि यूनिट शील होने के पश्चात् बिना शील तोड़े "परिणाम बटन" दबाया जाना संभव न हो.

(6) कन्ट्रोल यूनिट बंद की जाकर सुरक्षित की जाएगी और पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ता के बिलकुल सामने रखी जाएगी तथा मतदान यूनिट मतदान कोष्ठ में रखी जाएगी.

72 च—महिला मतदाताओं के लिये सुविधाएं—(1) जहां मतदान केन्द्र पुरुष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिये हों, वहां पीठासीन अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से महिलाओं तथा पुरुषों की पृथक्-पृथक् टोलियों में प्रवेश दिया जाए.

(2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी किसी महिला को, महिला मतदाताओं की सहायता करने के लिए और महिला मतदाताओं की बाबत मतदान करने में साधारणतः पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी महिला मतदाता की, उस दशा में तलाशी में मदद करने के लिए, जहां यह आवश्यक हो, सहायिका के रूप में सेवा के लिये किसी मतदान केन्द्र में नियुक्त कर सकेगा.

72 छ—मतदाताओं की पहचान—(1) पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने के लिये या मतदान संचालित करने में अन्यथा उसे सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

(2) जैसे-जैसे प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करे, वैसे-वैसे पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी, मतदाता के नाम और विशिष्टियों को मतदाता सूची में की सुसंगत प्रविष्टियों से मिलाएगा और तब वह मतदाता या अनुक्रमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा।

(3) मतदान करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का विनिश्चय करने में यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदाता सूची में की या मुद्रण संबंधी या लिपिकीय अशुद्धियों पर उस दशा में ध्यान नहीं देगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है जिससे ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है।

72 ज—अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप—(1) कोई भी मतदान अभिकर्ता विशिष्ट मतदाता होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप, ऐसे प्रत्येक अभ्याक्षेप के लिये पीठासीन अधिकारी के पास नकद पांच रुपये की राशि पहले निक्षेप करके, कर सकेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी, ऐसा निक्षेप किये जाने पर—

- (क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, सदोष प्रतिरूपण के लिये शास्ति की चेतावनी देगा;
- (ख) निर्वाचक नामावली में की सुसंगता प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;
- (ग) प्ररूप 12 में, अभ्याक्षेपित मदों की सूची में उसका नाम और पता प्रविष्टि करेगा; और
- (घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए—

- (क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत में साक्ष्य दे और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्ता के सबूत में साक्ष्य दे;
- (ख) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है, उसकी अनन्यता सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और
- (ग) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा।

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी का यह विचार हो कि आक्षेप स्थापित नहीं हुआ है तो वह आक्षेपित व्यक्ति को मत देने की अनुज्ञा देगा और यदि उसका विचार हो कि आक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह आक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित कर देगा।

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि आक्षेप तुच्छतापूर्ण है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह निदेश देगा कि उप नियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप शासन के पक्ष में समपहत कर दिया जाए और अन्य मामले में वह जांच की समाप्ति पर उसे आक्षेपकर्ता को लौटा देगा।

72 झ—सदोष प्रतिरूपण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय—(1) प्रत्येक मतदाता, जिसकी पहचान की बाबत यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया है, अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को करने देगा तथा उस पर अमिट स्याही का निशान लगाने देगा।

(2) यदि कोई मतदाता, उप नियम(1) के अनुसार अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण कराने या इसे चिन्हित कराने से इंकार करता है या उसकी बाईं तर्जनी पर ऐसा चिन्ह पहले ही से ही विद्यमान है या वह ऐसे स्याही चिन्ह को हटाने की दृष्टि से ऐसा कोई कृत्य करता है, तो उसे मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) इस नियम में मतदाता की बाईं तर्जनी के प्रति किसी निर्देश से, उस दशा में, जहां कि मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है, यह समझा जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश है और जहां उसके बाएं हाथ की सभी उंगलियां न हों, वहां यह समझा जाएगा कि यह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां उसके दोनों हाथों की सभी उंगलियां न हों वहां यह समझा जाएगा कि वह उसकी बाईं या दाहिने भुजा के ऐसे अग्रभाग के प्रति निर्देश है, जो वह धारण करता हो।

72 ज—मतदान मशीन द्वारा मतदान की प्रक्रिया—(1) मतदाता को मतदान करने की अनुमति देने के पूर्व मतदान अधिकारी—

- (क) मतदाता की निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में नियम 60(4) “क” में यथा उपबंधित मतदाता क्रमांक मतदाता रजिस्टर में, दर्ज करेगा;
- (ख) मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान उक्त रजिस्टर में अभिप्राप्त करेगा; और
- (ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में यह दर्शित करने के लिए मतदाता के नाम पर चिन्ह लगाएगा कि उसे मत देने की अनुमति दी गई है:

परन्तु किसी भी मतदाता को तब तक मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशान प्राप्त न कर लिया गया हो।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में अंगूठा निशान का सत्यापन करे।

72 ट—मतदान केन्द्र के भीतर मतदाता द्वारा किए गए मतदान और मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखना—(1) प्रत्येक मतदाता जिसे मतदान करने की अनुमति दी गई है मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की और इसमें इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखेगा।

(2) मतदान करने के लिए अनुज्ञात कर देने के ठीक पश्चात् मतदाता, पीठासीन अधिकारी या मतदान मशीन के कंट्रोल यूनिट प्रभारी, के पास जाएगा जो कंट्रोल यूनिट का समुचित बटन दबाकर, मतदाता को मतदान अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट चालू कर देगा।

(3) इसके पश्चात् मतदाता तुरंत—

- (क) मतदान कक्ष में पहुंचेगा;
- (ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने वाली मतदान यूनिट पर बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा जिसके लिए वह मतदान करने का आशय रखता है;
- (ग) मतदान कक्ष के बाहर आएगा और मतदान केन्द्र छोड़ देगा।

(4) प्रत्येक मतदाता अनावश्यक विलंब किए बिना मतदान करेगा।

(5) किसी मतदाता को मतदान कक्ष के भीतर प्रवेश करने की अनुमति उस समय नहीं दी जाएगी जब दूसरा मतदाता भीतर हो।

(6) यदि कोई मतदाता जिसे मतदान करने के लिए अनुज्ञात किया गया हो, पीठासीन अधिकारी द्वारा नियम में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने की चेतावनी देने के पश्चात् भी मतदान करने से इंकार करता है तब पीठासीन अधिकारी के निर्देश के पश्चात् पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को मतदान करने की अनुमति नहीं देगा।

(7) जब किसी मतदाता को मतदान की अनुमति नहीं दी जाती है तब इस आशय की एक टिप्पणी कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है, मतदान रजिस्टर में उस मतदाता के नाम के सामने पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके हस्ताक्षर से की जाएगी।

72 ठ—नेत्रहीन या अशक्त मतदाताओं के मतदान का अभिलिखित किया जाना—(1) यदि पीठासीन अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि अंधेपन या अन्य किसी शारीरिक अशक्तता के कारण कोई मतदाता, मतदान मशीन की मतदान यूनिट प्रतीक की पहचान करने में असमर्थ है या बिना सहायता समुचित बटन दबाकर अपना मतदान अभिलिखित करने में असमर्थ है, तब पीठासीन अधिकारी, मतदाता को अनुज्ञा देगा कि वह अपना एक साथी, जिसकी उम्र अठारह वर्ष से कम न हो, अपनी ओर से उसकी इच्छा के अनुसार मतदान अभिलिखित करने के लिए मतदान कक्ष तक ले जाए:

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदाताओं के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह और कि इस नियम के अन्तर्गत जब किसी व्यक्ति को किसी दिन किसी मतदाता के साथी के रूप में काम करने की अनुज्ञा दी जाती है तब पहले उस व्यक्ति को यह घोषणा करनी होगी कि वह उसके द्वारा मतदाता की ओर से अभिलिखित किए जाने वाले मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी दूसरे मतदान केन्द्र पर किसी मतदाता के साथी के रूप में काम नहीं किया है.

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन सभी मामलों का अभिलेख प्ररूप 14 में रखेगा.

72 ड—निविदत्त मत—(1) यदि कोई व्यक्ति मतदाता विशेष बताकर मतदान करना चाहता है जिस पर मतदाता के रूप में कोई व्यक्ति ऐसे मतदाता के रूप में पहले ही मतदान कर चुका हो तब वह उसकी पहचान से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने के पश्चात् मतदान यूनिट द्वारा मतदान करने की अनुमति देने के बजाए उसे निविदत्त मतपत्र प्रदाय करेगा जो ऐसी डिजाइन का होगा और जिसकी विशिष्टियां ऐसी भाषा में या भाषाओं में होंगी जैसी निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे.

(2) ऐसा प्रत्येक मतदाता, निविदत्त मतपत्र प्रदाय किए जाने के पूर्व प्ररूप 14 में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अपना नाम लिखेगा.

(3) मतपत्र प्राप्त करते ही वह तत्काल—

(क) मतदान कक्ष की ओर अग्रसर होग;

(ख) वहां मतपत्र पर इस प्रयोजन हेतु दिए गए उपकरण या वस्तु द्वारा क्रॉस का चिन्ह 'x' उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट लगाकर जिसको कि वह मत देना चाहता है, अपना मतदान अभिलिखित करेगा;

(ग) मतपत्र इस तरह मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) यदि आवश्यक हो, तब मतपत्र पर विशिष्ट मार्क पीठासीन अधिकारी को दिखाएगा;

(ङ) इसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर रखे गए लिफाफे में रखेगा; और

(च) मतदान केन्द्र के बाहर चला जाएगा.

(4) यदि नेत्रहीन या शारीरिक अक्षमता के कारण ऐसा मतदाता बिना किसी कि सहायता के मतदान अभिलिखित करने में असमर्थ रहता है तब पीठासीन अधिकारी उसे उन्हीं शर्तों के अध्वधीन रहते हुए तथा उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो नियम 72 में अधिकथित की गई है, एक साथी ले जाने की अनुमति देगा जो उसकी इच्छा के अनुसार उसका मत अभिलिखित करेगा.

72 ढ—मतदान की अवधि में पीठासीन अधिकारी का मतदान कक्ष में प्रवेश—(1) पीठासीन अधिकारी जब कभी वह आवश्यक समझे, मतदान के दौरान मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकेगा तथा ऐसे कदम उठा सकेगा जो वह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि मतदान यूनिट में छेड़छाड़ नहीं की गई है या उसमें किसी अन्य प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाई गई है.

(2) यदि पीठासीन अधिकारी को यह संदेह करने का कारण हो कि कोई मतदाता जो मतदान कक्ष में प्रवेश कर चुका है वह मतदान यूनिट में छेड़-छाड़ कर रहा है या अन्यथा कोई बाधा डाल रहा है या मतदान कक्ष के भीतर अनावश्यक लम्बी अवधि तक बना रहा है तब वह मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जो कि सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान के लिये आवश्यक हों.

(3) पीठासीन अधिकारी जब कभी इस नियम के अधीन मतदान कक्ष में प्रवेश करता है तो वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे वांछा करें तो साथ चलने की अनुमति देगा.

72 ण—मतदान का बंद किया जाना—(1) पीठासीन अधिकारी, इस निमित्त मतदान बंद करने के नियत समय पर मतदान केन्द्र बंद कर देगा और उसके पश्चात् किसी मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं देगा:

परन्तु उन सभी मतदाताओं को, जो मतदान समाप्त होने के पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, अपना मतदान करने की अनुमति दी जाएगी.

(2) यदि यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई मतदाता मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्त होने के पहले उपस्थित था, तब उसका विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

72 त—अभिलिखित मतों का लेखा—पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्त होने पर प्ररूप 18 में अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेगा और इसे अलग लिफाफे में रख कर उसके ऊपर “अभिलिखित मतों का लेखा” लिखेगा.

72 थ—मतदान के पश्चात् मतदान मशीन का सीलबंद किया जाना—(1) मतदान बंद होने के पश्चात् यथासाध्यशीघ्र पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि और मतदान अभिलिखित न किए जा सकें, कंट्रोल यूनिट बंद कर देगा और मतदान यूनिट को कंट्रोल यूनिट से अलग कर देगा.

(2) कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट इसके पश्चात् सीलबंद कर दिए जाएंगे और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हें ऐसी रीति से पृथक्-पृथक् सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें सुरक्षित रखने वाली सील इस प्रकार लगाई जाएगी कि बिना सील तोड़े यूनिट का खोलना संभव न हो.

(3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को भी, जो अपनी सील लगाने के इच्छुक हों, ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी.

72 द—अन्य पैकेटों का सीलबंद किया जाना—(1) पीठासीन अधिकारी तब—

- (क) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति;
 - (ख) मतदाता रजिस्टर;
 - (ग) निविदत्त मतपत्रों को अंतर्विष्ट करने वाला लिफाफा;
 - (घ) चुनौती दिए गए मतों की सूची;
 - (ङ) अप्रयुक्त मतपत्र जो निविदत्त मतपत्र के रूप में जारी करने के लिए रखे गए हों; और
 - (च) किन्हीं अन्य कागजातों के, जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा सीलबंद पैकेट में रखने का निदेश हो.
- अलग-अलग पैकेट बनाएगा.

(2) ऐसे प्रत्येक पैकेट को पीठासीन अधिकारी और अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता की, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और जो अपनी सील लगाने का इच्छुक हो सील लगाकर सीलबंद किया जाएगा.

72 ध—मतदान मशीनें आदि रिटर्निंग आफिसर को भेजा जाना—(1) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात् —

- (क) मतदान मशीन;
- (ख) अभिलिखित मतों का लेखा;
- (ग) नियम 72द में निर्दिष्ट सील बंद पैकेट; और
- (घ) अन्य सभी कागजात जिसका उपयोग मतदान में हुआ है.

रिटर्निंग आफिसर को ऐसे स्थान पर परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा जैसा कि रिटर्निंग आफिसर निदेश दे.

(2) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन, पैकेट्स तथा अन्य कागजातों के, मतगणना प्रारंभ होने तक के लिए सुरक्षित रखे जाने के लिये सुरक्षित परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था करेगा.

72 न—मतदान स्थगित करने की प्रक्रिया—यदि किसी निर्वाचन में आपातकालीन स्थिति में मतदान स्थगित हो जाता है तो नियम 70 और 71 में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा.

72 प—बूथ पर कब्जे की स्थिति में मतदान मशीन को बंद किया जाना—जहां पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत किसी स्थान पर, बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई और मत अभिलिखित न हों, तत्काल मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट बंद कर देगा और मतदान यूनिट को कंट्रोल यूनिट से अलग कर देगा.

(3) नियम 77 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“77क—मतदान मशीन की संवीक्षा और निरीक्षण—(1) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट का उपयोग एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर होने की भी संवीक्षा और निरीक्षण करेगा और ऐसी यूनिटों में अभिलिखित मतों की गणना एक साथ होगी;

(2) उप नियम (1) के अधीन किसी मतदान मशीन को कंट्रोल यूनिट में अभिलिखित मतों की गणना करने के पूर्व अभ्यर्थी या गणना टेबल पर उपस्थित उसके गणना अभिकर्ता को कागज की सीलें तथा ऐसी अन्य मुख्य सीलों का जो यूनिट पर लगी हों, निरीक्षण करने की इसलिए अनुमति दी जाएगी कि वे अपना समाधान कर लें कि सीलें ठीक अवस्था में हैं.

(3) रिटर्निंग आफिसर अपना इस बावत् समाधान करेगा कि किसी भी मतदान मशीन में वस्तुतः छेड़छाड़ नहीं की गई है.

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर को यह समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन से वास्तव में छेड़छाड़ की गई है तब वह उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र के संबंध में जहां वह मशीन प्रयुक्त हुई थी, नियम 72 में अधिकथित प्रक्रिया जो भी लागू हो का पालन करेगा.

77 ख—मतों की गणना जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया है—(1) रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मतदान मशीन से छेड़छाड़ नहीं की गई है वह उसमें अभिलिखित मतों की गणना कंट्रोल यूनिट पर दिए गए समुचित बटन जिस पर “रिजल्ट” अंकित होगा, को दबा कर करेगा जिससे प्रदर्शन पटल पर कुल मतदान और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त हुए मत प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की बावत् जो यूनिट में इस प्रयोजन के लिये दिए हुए हैं, प्रदर्शित हो जाएंगे,

(2) जैसे ही प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मत कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित हो, तब रिटर्निंग आफिसर,—

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में अलग-अलग अभिलिखित मतों की संख्या;

(ख) प्ररूप 16, 17, 18 एवं 19 में गणना परिणाम पत्रक में तत्स्थानी प्रविष्टि करेगा और इस प्रकार प्रविष्टि विवरण जो परिणाम पत्रक में दर्ज हो घोषित करेगा.

77 ग—मतदान मशीन को सील किया जाना—(1) प्रत्येक अभ्यर्थीवार कंट्रोल यूनिट में अभिलिखित मतदान परिणाम सुनिश्चित होने और नियम 77(2) के अधीन प्ररूप 21 में दर्ज होने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर अपनी सील से पुनः यूनिट सीलबंद करेगा और ऐसे अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता जो वहां उपस्थित हों और अपनी-अपनी सीलें उस पर लगाने के इच्छुक हों, ऐसी रीति में अपनी-अपनी सीलें लगायेंगे और सीलें इस तरह लगाई जाएंगी कि मतदान परिणाम जो यूनिट में अभिलिखित है मिटने न पाएं और यूनिट में ऐसे परिणाम की मेमोरी बनी रहे.

(2) इस प्रकार सीलबंद कंट्रोल यूनिट विशेष तौर से बनाई गई पेटी में रखी जायेगी; जिस पर रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित विवरण अभिलिखित करेगा, अर्थात्—

(क) वार्ड का नाम;

(ख) मतदान केन्द्र या केन्द्रों का विवरण जहां कंट्रोल यूनिट का उपयोग हुआ है;

(ग) कंट्रोल यूनिट का अनुक्रमांक;

(घ) मतदान की तारीख; और

(ङ) मतगणना की तारीख.”.

NOTICE

No. F-2-1-2014-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Nirvachan Niyam, 1995, which the State Government in consultation with the State Election Commission proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) after rule 50, the following rule shall be inserted, namely :—

‘50A. **Voting Machine at Elections**—Notwithstanding anything contained in the Rules, the State Election Commission may order that in specified Wards/ Panchayats, the giving and recording of votes shall be by voting machines in the manner as specified hereafter.

Explanation—For the purpose of this rule “Voting Machine” means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise, used for giving and recording of votes and any reference to a ballot box or ballot paper in the rules, shall, save as otherwise provided, be construed as including a reference to such voting machine wherever such voting machine is used in the election.’.

(2) after Chapter IX, the following Chapter shall be inserted, namely :—

“CHAPTER—IX-A

Voting By Voting Machines

72A. **Design of voting machines**—Every voting machine shall have a control unit and a balloting unit and shall be of such design as may be approved by the Election Commission.

72B. **Preparation of voting machine by the Returning Officer**—(1) The balloting unit of the voting machine shall contain such particulars and such language as the Election Commission may specify.

(2) The names of the candidates shall be arranged on the balloting unit in the same order in which they appear in the list of the contesting candidates.

(3) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their surname, fathers name, occupation or residence etc. or in some other manner.

(4) Subject to the foregoing provisions of this rule, the returning officer shall—

- (a) fix the label containing the names and symbols of the contesting candidates in the balloting unit and secure that unit with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.
- (b) set the number of contesting candidates and close the candidate set section in the control unit and secure it with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.

72C. Arrangements at the polling stations—(1) Outside each polling station there shall be displayed prominently by the returning officer :—

- (a) a notice specifying the polling area, the electors of which are entitled to vote at the polling station and when the polling area has more than one polling station, the particulars of the electors so entitled to vote; and
- (b) a copy of the list of contesting candidates.

(2) At each polling station there shall be set up one or more voting compartments in which the electors can record their votes secretly.

(3) The returning officer shall provide at each polling station such number of voting machines so as to accommodate and exhibit required particulars of all the contesting candidates of a ward and copies of relevant part of the electoral roll and such other election material as may be necessary for taking the poll and in case more than one machine are provided at a polling station, they shall be connected with each other so as to form it a single balloting unit at that polling station.

(4) Without prejudice to the provisions of sub-rule (3), the returning officer may, with the previous approval of the Election Commission, provide one common voting machine for two or more polling stations located in the same premises.

72D. Admission to polling station—the presiding officer shall regulate the number of electors, to be admitted at any one time inside the polling station and shall remove there from all persons other than,—

- (a) polling officers;
- (b) public servants on duty in connection with election;
- (c) persons authorized by the Election Commission;
- (d) candidates, their election agents and subject to the provisions of rule 42, one polling agent of each candidate;
- (e) a child in arms accompanying an elector;
- (f) a person accompanying a blind or infirm elector who cannot move without help; and
- (g) such other person as the Returning Officer or the Presiding Officer may employ under sub-rule (2) of rule 72F or sub-rule (1) of rule 72G.

72E. Preparation of voting machine for poll—(1) The control unit and balloting unit of every voting machine used at polling station shall bear a label marked with,—

- (a) the serial number, if any and the name of the ward;
- (b) the serial number and the name of the polling station or stations, as the case may be;
- (c) the serial number of the unit; and
- (d) the date of poll.

(2) Immediately before the commencement of the poll, the Presiding Officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that no voter has been already recorded in the voting machine and it bears the label as referred to in sub-rule (4) of rule 72B.

(3) A paper seal shall be used for securing the control unit of the voting machine and the Presiding Officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signature of such of the polling agents present as are desirous of affixing the same.

(4) The Presiding Officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefore in the control unit of the voting machine and shall secure, and seal the same.

(5) The seal used for securing the control unit shall be fixed in such manner that after 'the unit has been sealed', it is not possible to press the "Result Button" without breaking the seal.

(6) The control unit shall be closed and secured and placed in full view of the Presiding Officer and the polling agents and the balloting unit placed in the voting compartment.

72F. Facilities for women electors—(1) Where a polling station is for both man and woman electors, the Presiding Officer may direct, that they shall be admitted into the polling station alternately in separate batches.

(2) The Returning Officer or the Presiding Officer may appoint a woman to serve as an attendant at any polling station to assist woman electors and also to assist the presiding officer generally in taking the poll in respect of woman electors and in particular, to help for searching any woman elector in case it becomes necessary.

72G. Identification of electors—(1) The Presiding Officer may employ at the polling station such person as he thinks fit to help in the identification of the electors or to assist him otherwise in conducting the poll.

(2) As each elector enters the polling station, the Presiding Officer or the Polling Officer authorized by him in this behalf shall check the elector's name and other particulars with the relevant entry in the electoral roll and then call out the serial number, name and other particulars of the elector.

(3) In determining the right of a person to cast his vote, the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be shall overlook the clerical or printing errors. In an entry in the electoral 'roll if he is satisfied that such person is identical with the elector to whom such entry relates.

72H. Challenging of identity—(1) Any polling agent may challenge the indentity of a person claiming to be a particular elector by first depositing a sum of five rupees in cash with the presiding officer for each such challenging.

(2) On such deposit being made, the presiding officer shall,—

- (a) warn the person challenged of the penalty for wrongfully personation;
- (b) read the relevant entry in the electoral roll in full and ask him whether he is the person referred to in that entry;
- (c) enter his name and address in the list of challenged votes in Form 12; and
- (d) require him to affix his signature in the said list.

(3) The Presiding Officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose—

- (a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his indentity;
- (b) put to person challenged any question necessary for the purpose of establishing his identity and require him to answer them on oath; and
- (c) administer an oath to the person challenged and any other person offering to give evidence.

(4) If, after the inquiry, the presiding officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person challenged to vote and if he considers that the challenge has been established he shall debar the person challenged from voting.

(5) If the presiding officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to Government and in any other case, return to the challenger at the conclusion of the inquiry.

72I. Safeguards Against Wrongfully Personation—(1) Every elector about whose identity the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, is satisfied, shall allow his left forefinger to be inspected by the Presiding Officer or Polling Officer and an indelible ink mark to be put on it.

(2) If any elector refuses to allow his left forefinger to be inspected or marked in accordance with sub-rule (1) or has already such a mark on his left forefinger or does any act with a view to removing the ink mark, he shall not be allowed to vote.

(3) Any reference in this rule to the left forefinger of an elector shall, in the case where the elector has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall, in the case 'where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other finger of his right hand and shall, in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

72J. Procedure for Voting by Voting Machines—(1) Before permitting an elector to vote, the polling officer shall,—

- (a) record the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll in a register of voters as provided in rule 60(4) (a);
- (b) obtain the signature or the thumb impression of the elector on the said register of voters; and
- (c) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that he has been allowed to vote:

Provided that no elector shall be allowed to vote unless he has his signature or thumb impression on the register of voters.

(2) Notwithstanding anything contained in any other rule for the time being in force, it shall not be required for any presiding officer or polling officer or any other officer to attest the thumb impression of the register of voters.

72K. Maintenance of Secrecy of Voting by electors within the Polling Station and Voting Procedures—(1) Every elector who has been permitted to vote shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that voting procedure hereinafter laid down.

(2) Immediately on being permitted to vote, the elector shall proceed to the Presiding Officer or the Polling Officer in charge of the control unit of the voting machine who shall, by pressing the appropriate button on the control unit, activate the balloting unit for recording of elector's vote.

(3) The Elector shall thereafter forthwith,—

- (a) proceed to the voting compartment;
- (b) record his vote by pressing the button on the balloting unit against the name and symbol of the candidate for whom he intends to vote; and
- (c) come out of the voting compartment and leave the polling station.

(4) every elector shall vote without undue delay.

(5) No elector shall be allowed to enter the voting compartment when another elector is inside it.

(6) If an elector who has been permitted to vote, refuses, after warning given by the Presiding Officer to procedure laid down in the rules, the Presiding Officer or a Polling Officer after the direction of the Presiding Officer shall not allow such elector to vote.

(7) Where an elector is not allowed to vote, a remark to the effect that voting procedure has been violated be made against the elector's name in the register of voters by the Presiding Officer under his signature.

72L. Recording of Votes of Blind or infirm Electors—(1) If the Presiding Officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmities an elector is unable to recognize the symbol of the balloting unit of the ballot machine or unable to record his vote by pressing the appropriate button thereon without assistance, the Presiding Officer shall permit the elector to take with him a companion of not less than eighteen years of age to voting compartment for recording the vote on his behalf and in accordance with his wishes:

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one elector at any polling station on the same day:

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of an elector on any day under that rule. That person shall be required to declare that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the elector and that he has not already acted as the companion of any other elector at any other polling station on that day.

(2) The presiding officer shall keep a record in Form 14 of all cases under this rule.

72 M. Tendered votes.—(1) If a person representing himself to be a particular elector seeks to vote after which a person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily Answering such questions relating to his identity as the Presiding Officer may ask, be, instead of being allowed to vote through the balloting unit. Supplied with a tendered ballot paper which shall be of such design and the particulars of which shall be in such language or languages as the Election Commission may specify.

(2) Every such elector shall, before being supplied with tendered ballot paper. Write his name against the entry relating to him in Form 14.

(3) On receiving the ballot paper, he shall forthwith—

- (a) proceed to the voting compartment;
- (b) record there his vote on the ballot paper by placing a cross mark 'X' with the instrument or article supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote;
- (c) fold the ballot paper so as to conceal his vote;
- (d) show to the Presiding Officer if required, the distinguishing mark on the ballot paper;
- (e) give it to the Presiding Officer who shall place it in a cover specially kept for the purpose; and
- (f) Leave the polling station.

(4) If owing to blindness or physical infirmities, such elector is unable to record his vote without assistance, the Presiding Officer shall permit him to take with him a companion. subject to the same condition and after following the same procedure as laid down in rule 72 for recording the vote in accordance with his wishes.

72 N presiding Officer's entry in the voting compartment during poll.—(1) The presiding officer may, whenever he considers it necessary to do so enter the voting compartment during poll and take such steps as may be necessary to ensure that the balloting unit is not tampered or interfered with in any way.

(2) If the Presiding Officer has reason to suspect that an elector who has entered the voting compartment is tampering or otherwise interfering with the balloting unit or has remained inside the voting compartment for unduly long period, he shall enter the voting compartment and take such steps as may be necessary to ensure the smooth and orderly progress of the poll.

(3) Whenever the Presiding Officer enters the voting compartment under this rule he shall permit the polling agents present to accompany him if they so desire.

72O. Closing of poll.—(1) The Presiding Officer shall close a polling station at the hour fixed in the behalf and he shall not thereafter admit any elector into the polling station:

Provided that all electors present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(2) If any question arises whether an elector was present at the polling station before it was closed, it shall be decided by the Presiding Officer and his decision shall be final.

72 P. Account of votes recorded.—The Presiding Officer shall, at the close of the poll, prepare an account of votes recorded in form 18 and enclose it in a separate cover with the words "Account of Votes Recorded superscribed thereon.

72 Q. Sealing of voting machine after poll.—(1) As soon as practicable after the closing of the poll, the Presiding Officer shall close the control unit to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.

(2) The control unit and the ballot unit shall thereafter be sealed and secured separately in such manner as the Election Commission may direct and the seal used for securing them shall be so affixed that it will not be possible to open the units without breaking the seals.

(3) The polling agents present at the polling station who desire to affix their seal shall also be permitted to do so.

72 R. Sealing of other packets.—(1) The Presiding Officer shall, then make into separate packets—

- (a) the marked copy of electoral roll;
- (b) the register of voters;
- (c) the cover containing the tendered ballot papers;
- (d) the list of challenged votes
- (e) the unused ballot papers kept for issue as tendered ballot paper; and
- (f) any other papers directed by the Election Commission to be kept in a sealed packet.

(2) Each such as packet shall be sealed with the seal of the Presiding Officer and with the seal either of the candidate or of his polling agent who may be present at the polling station and may desire his seal.

72 S.—Transmission of voting machines etc. to the Returning Officer.—(1) The Presiding Officer shall then deliver or cause to be delivered to the returning officer, at such place as the Returning Officer may direct.—

- (a) the voting machine;
- (b) the account of votes recorded;
- (c) the sealed packets referred to in rule 72 R; and
- (d) All other papers used at the poll.

(2) The Returning Officer shall make adequate arrangements for the safe transport of the voting machine, packets and other papers for the safe custody until the commencement of the counting of votes.

72 T. Procedure of adjournment of poll.—If at any election the polling is adjourned in emergency the procedure provided in rule 70 and 71 shall be followed.

72 U. Closing of voting machine in case of booth capturing.—Where the presiding officer is of opinion that booth capturing is taking place at a polling station or at a place fixed for the poll, he shall immediately close the control unit of the voting machine to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.

(3) After rule 77, the following rules shall be inserted, namely:—

“77 A. Scrutiny and inspection of voting machines.—(1) The Returning Officer shall have the, control units of the voting machines used at more than one polling station taken up for scrutiny and inspection and votes recorded in such units, counted simultaneously.

(2) Before the votes recorded in any control unit of a voting machine are counted under sub-rule (1) the candidate, or his counting agent present at the counting table shall be allowed to inspect the paper seal and such other vital seals as might have been affixed on the unit and to satisfy themselves that the seals are intact.

(3) The Returning Officer shall satisfy himself that none of the voting machines have in fact been tampered with.

(4) If the Returning Officer is satisfied that any voting machine has in fact been tampered with, he shall not count the votes recorded in that machine and shall follow the procedure laid down in rule 72 as may be applicable in respect of the polling station where that machine was used.

77 B. Counting of votes when Electronic Voting Machine are used.—(1) After the Returning Officer is satisfied that a voting machine has in fact not been tampered with, he shall have the votes recorded therein counted by pressing the appropriate button marked “Result” provided in the control unit whereby the total votes polled and votes polled to each candidate shall be displayed in respect of each such candidate on the display panel provided for this purpose in the unit.

(2) As the votes casted to each candidate are displayed on the control unit the Returning Officer shall have—

(a) the number of such votes recorded separately in respect of each candidate;

(b) corresponding entries made in a result sheet in Form 16, 17, 18, 19 and particulars so entered in the result sheet shall be announced.

77 C. Sealing of voting machines. —(1) After the result of voting recorded in the control unit has been ascertained candidate wise and entered in Form 21 under rule 77(2), the Returning Officer shall reseal the unit with his seal and the seal of such of candidates or the election agents as are present who may desire to affix their seals there on in such a way that the result of Voting recorded in the unit is not obliterated and the unit retains the memory of such result.

(2) The control unit so sealed shall be kept in a specially prepared box on which the Returning Officer shall recorded the following particulars, namely—

- (a) the name of the Ward;
- (b) the particulars of polling station or stations where the control unit has been used;
- (c) serial number of the control unit;
- (d) date of poll; and
- (e) date of counting.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.